

ई.11022/1/2017-हिन्दी / 1999-2148

भारत सरकार  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय  
(हिन्दी अनुभाग)

\*\*\*\*\*

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,  
नई दिल्ली, दिनांक: 01 अक्टूबर, 2018

**विषय:-** मंत्रालय में चल रही हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के लिए प्रविष्टियां मंगाने के संबंध में।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में 01 जनवरी, 2017 से हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना लागू की गई है, जिसके विषय में दिनांक 18.01.2018 को समसंख्यक परिपत्र जारी किया गया है। उक्त परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट के इन्ट्रानेट पृष्ठ पर भी उपलब्ध है।

अतः सभी से अनुरोध है कि कैलेंडर वर्ष 2017 (01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2017) के पुरस्कार के लिए अपनी-अपनी प्रविष्टियां यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। सुगम संदर्भ के लिए दिनांक 18.01.2018 के समसंख्यक परिपत्र की प्रति संलग्न है।

  
(श्रद्धा माथुर)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
8. वेतन तथा लेख कार्यालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
9. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
10. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के निजी सचिव/ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री के निजी सचिव।
11. सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।

12. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। अनुरोध है कि योजना के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
13. सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी, बिल्डिंग-II, नई दिल्ली।
14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संस्थान/सोसाइटी/बोर्ड आदि।
15. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी तथा अनुभाग/डेस्क/यूनिट आदि।
16. सभी राज्यों के प्रधान सचिव एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य प्रशासक।

क्र० सं० - 3 (प्रतिषेधित)

फा.सं. ई.11022/1/2017-हिन्दी/51-250

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

\*\*\*\*\*

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 18.01.2018

परिपत्र

**विषय:** मंत्रालय में चल रही हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के लिए प्रविष्टियां मंगाने के संबंध में।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी को प्रेरणा और प्रोत्साहन से आगे बढ़ाने के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उनके कार्यों से संबंधित विषय वस्तु पर लेख/पुस्तकें आदि प्रकाशित करने का प्रावधान है। अतः सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में 01 जनवरी, 2017 से हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन योजना चल रही है।

**योजना का विवरण इस प्रकार है:-**

1. योजना 1 जनवरी, 2017 से लागू है।
2. योजना का नाम "जल/जल संसाधन के विषय में हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना" है।
3. योजना के तहत "पुस्तक" का आशय लेखक/लेखकों द्वारा मूलतः लिखी गई पुस्तक से है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए।

**उद्देश्य:-** योजना का उद्देश्य जल/जल संसाधनों संबंधी विभिन्न विषयों के बारे में हिन्दी में उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण सूचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक साहित्य सृजन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना है।

**पुरस्कार:-** प्राप्त प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए 1,00,000 (एक लाख) रूपए का पुरस्कार रखा गया है।

**अवधि:-** इस योजना की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की है और पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए उन पुस्तकों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार से संबंधित कैलेंडर वर्ष से पहले लिखी गई होंगी।

**पुरस्कार की पात्रता एवं शर्त:-** 1. पुस्तक की विषय वस्तु जल/जल संसाधनों से संबंधित होगी।  
2. इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी या किसी शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति भाग ले सकता है।

- 25
3. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
  4. पहले से पुरस्कृत पुस्तकों को इस योजना में पुरस्कार हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।
  5. पुस्तक स्वच्छ/स्पष्ट रूप में टंकित/मुद्रित होनी चाहिए।

#### मूल्यांकन समिति:-

1. पुरस्कार के लिए प्राप्त पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसकी संरचना इस प्रकार है-
  - (क) संयुक्त सचिव (पीपी) एवं राजभाषा प्रभारी - अध्यक्ष
  - (ख) संयुक्त निदेशक (रा.भा.) - सदस्य
  - (ग) अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य
2. मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के अपने मानदंड निर्धारित करेगी।
3. मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी प्रकार से बाध्यकारी होगा। किसी एक वर्ष में मूल्यांकन समिति इस आशय का निर्णय ले सकती है कि कोई भी पुस्तक (प्रविष्टि) पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं है।
4. प्रत्येक वर्ष पुरस्कार के लिए कम से कम तीन प्रविष्टियां प्राप्त होनी अनिवार्य होंगी ताकि परस्पर मूल्यांकन के आधार पर एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुनी जा सके।

#### सामान्य:-

1. पुरस्कार के निर्णय की सूचना औपचारिक पत्र द्वारा दी जाएगी।
2. पुरस्कार निर्णय प्रक्रिया के बारे में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
3. पुरस्कार के लिए भेजी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक के साथ उसके लेखक द्वारा, पुस्तक की मौलिकता से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
4. पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कॉपीराइट अधिकार, उसके पास सुरक्षित रहेगा।

#### प्रविष्टि भेजने की विधि:-

1. प्रविष्टियां एक निर्धारित प्रपत्र के साथ भेजी जानी अपेक्षित हैं (प्रपत्र की प्रति संलग्न है)।
2. पुरस्कार के लिए भेजी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां (स्वच्छ टंकित) मुद्रित भेजी जानी अपेक्षित हैं जो लौटाई नहीं जाएंगी।
3. एक लेखक एक से अधिक पुस्तकें विचारार्थ भेज सकता है, बशर्ते कि, उनकी विषय वस्तु परस्पर भिन्न हो।
4. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं-

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली।

5. प्रविष्टियों के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में "जल/जल संसाधन संबंधी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" अवश्य लिखा जाए।

अतः सभी से अनुरोध है कि कलेंडर वर्ष 2017 (01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2017) के पुरस्कार के लिए अपनी-अपनी प्रविष्टियां यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

*M. S. Bhatnagar*  
18.1.2018

(एम.सी. भारद्वाज)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23714374

सेवा में,

1. भारत सरकार सभी मंत्रालय और विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्ररीक्षक, नई दिल्ली।
8. वेतन तथा लेख कार्यालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
9. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
10. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के निजी सचिव/जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री के निजी सचिव।
11. सचिव (ज.सं.,न.वि. और गं.सं.) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पीपी) एवं राजभाषा प्रभारी के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।
12. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। अनुरोध है कि इस योजना के बारे में प्रेस विज्ञापित जारी करने का कष्ट करें।
13. सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी बिल्डिंग-II, नई दिल्ली।
14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण/संस्थान/सोसाइटी/बोर्ड आदि।
15. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी तथा अनुभाग/डेस्क/यूनिट आदि।
16. सभी राज्यों के प्रधान सचिव एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य प्रशासक, नई दिल्ली।

प्रपत्र

जल/जल संसाधन संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना

1. पुस्तक का नाम.....
2. पुस्तक का विषय.....
3. क) लेखक/लेखकों का नाम.....  
 ख) पूरा पता.....  
 ग) दूरभाष.....
4. पुस्तक लिखने का वर्ष.....
5. क्या पुस्तक को पहले किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें:  
 क) किस वर्ष में भेजी गई.....  
 ख) किसे भेजी गई (पूरा पता).....  
 ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें.....  
 .....
6. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि  
 क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं।  
 ख) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप में हिन्दी में लिखी गई है।